



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 887) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

अधिसूचना सं0-29/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 193, दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 54 की उप-धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा बिहार गजट में एस0 ओ0 73 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 5/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्ट में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा—

“6A	5801	कॉर्डरॉय कपड़े”.
-----	------	------------------

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-29)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 194, एस०ओ० 193, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-29)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

Notification No. 29/2017-State Tax (Rate)

S.O. 193, dated the 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 5/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette vide S.O. No. 73 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“6A	5801	Corduroy fabrics.”.
-----	------	---------------------

2. This notification shall come into force with effect from 22nd September, 2017

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017—29)]

By the order of Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, णटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 887-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>